(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 209 / 2020

बउनवान

1– देवीलाल आत्मज दुर्गालाल जाति धाकड़ निवासी रीछड़ा तह0 छबड़ा जिला बाराँ
2–बाबूलाल आत्मज दुर्गालाल जाति धाकड़ निवासी रीछड़ा तह0 छबड़ा जिला बाराँ
3– गुलाबचन्द आत्मज दुर्गालाल जाति धाकड़ निवासी रीछड़ा तह0 छबड़ा जिला बाराँ
4– भंवरीबाई आत्मजा दुर्गालाल जाति धाकड़ निवासी रीछड़ा तह0 छबड़ा जिला बाराँ
5– कन्याबाई आत्मजा दुर्गालाल जाति धाकड़ निवासी रीछड़ा तह0 छबड़ा जिला बाराँ
6– बदामबाई आत्मजा दुर्गालाल जाति धाकड़ निवासी रीछड़ा तह0 छबड़ा जिला बाराँ
7– भूलीबाई आत्मजा दुर्गालाल जाति धाकड़ निवासी रीछड़ा तह0 छबड़ा जिला बाराँ
8– रघुनन्दन आत्मज हीरालाल जाति धाकड़ निवासी रीछड़ा तह0 छबड़ा जिला बाराँ
9– दीपक आत्मज हीरालाल जाति धाकड़ निवासी रीछड़ा तह0 छबड़ा जिला बाराँ
10– पार्वतीबाई आत्मजा हीरालाल जाति धाकड़ निवासी रीछड़ा तह0 छबड़ा जिला बाराँ
11– सुन्दरबाई आत्मजा हीरालाल जाति धाकड़ निवासी रीछड़ा तह0 छबड़ा जिला बाराँ
12– पन्नीबाई पत्नी स्व. हीरालाल जाति धाकड़ निवासी रीछड़ा तह0 छबड़ा जिला बाराँ

(अपीलांटगण)

बनाम

1– गोपाल आत्मज रामनारायण जाति धाकड़ निवासी रीछड़ा तहसील छबडा जिला बाराँ
2– तहसीलदार तहसील छबडा जिला बाराँ

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या :– भू–अभिलेख / तरमीम / 2020 / 2443 दिनांक 14.07.20 मे पारित निर्णय के अन्तर्गत धारा 225 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री अरविन्द बघेरवाल अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– अनुपस्थित (रेस्पोडेन्ट क्रम 1)
3– पेरोकार सरकार उपस्थित (रेस्पोडेन्ट क्रम 2)

निर्णय दिनांक 02.11.2020

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या :–भू–अभिलेख / तरमीम / 2020 / 2443 दिनांक 14.07.2020 मे पारित निर्णय से अप्रसन्न होकर, अपील अन्तर्गत धारा 225 आर0टी0 एक्ट के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 11.08.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न कर बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की क्रियान्विति अग्रिम आदेश तक स्थगित रखी। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 पेरोकार सरकार उपस्थित रहा। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। जो इस न्यायालय को प्राप्त होने पर प्रकरण में अपीलांटगण के अभिभाषक एवं सरकार की अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.11.25 13:19:22 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि ग्राम रीछड़ा तह0 छबड़ा की आराजी जमाबन्दी सं0 59 एवं 27 जो भूमि खसरा नंबर 38,39,140,150,151,215 जिनके नक्शे ट्रेस में कहीं तरमीम नहीं हो रही थी। उक्त भूमि दोनों पक्षों की पैतृक भूमि है, लोन लेने हेतु इनके द्वारा पूर्व में अपने खाते का केवल जमाबन्दी में ही बँटवारा किया गया था जिसके अनुसार उक्त खसरा नंबरान का राजस्व रिकार्ड में विभाजन हो गया था लेकिन नक्शे में तरमीम नहीं हो सकी थी। पूर्व में जो विभाजन नामान्तरकरण नं0 195 ग्राम रीछड़ा का खोला गया, वह इन्तकाल बंटवारा आपसी सहमति में विभाजित खसरा नं0 का कोई नक्शा ट्रेस अथवा नजरी नक्शा व दिशा का बँटवारा नहीं किया गया था और न हीं वर्तमान में किया हुआ है। उक्त इन्तकाल नं0 195 में इस संदर्भ में कोई हवाला, तथ्य, टिप्पणी आदि अंकित नहीं होने से नक्शा तरमीम बंटवारा भी नहीं किया गया। उक्त भूमि का तरमीम बंटवारा कानूनन राजस्व नियम विधि के अनुसार रोड साइड पर खातेदारों के अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी का तरमीम होना दोनों पक्षों के हितों में होगा क्योंकि इस तरमीम से खातेदार अपनी–अपनी भूमि को सुविधापूर्वक काश्त व उपयोग कर सकेंगे। खसरा नं0 31 (31/1 व 31/2) जो जमाबन्दी में अंकित है जिसका नक्शा ट्रेस भी तरमीम नहीं हो रहा है, खसरा नं0 39 ग्राम रीछड़ा में छबड़ा सालपुरा रोड़ से लगवा है जिसे दोनों पक्ष संयुक्त रूप से बराबर–बराबर काश्त करते आ रहे है तथा दोनों की ट्यूबवेल भी पास–पास है जिससे दोनों पक्ष उक्त भूमि को सिंचित करते है। पूर्व का बँटवारा जो आपसी सहमति से हुआ था, वह अपूर्ण है क्योंकि उसमें भूमि की दिशा व नजरी नक्शा न तो संलग्न है ना ही इस संदर्भ में कोई तथ्य अंकित है इसलिए उक्त खसरा नं0 39 की तरमीम अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी के सिद्धान्त व कानून के अनुसार किया जाना न्यायोचित है। रेस्पो0 गोपाल द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा 1983 में होना बताया है जिसे काफी समय हो चुका है। रेस्पो0 गोपाल द्वारा इस संदर्भ में कोई भी कार्यवाही किसी भी न्यायालय/राजस्व अधिकारी के यहां नहीं की क्योंकि उसका कोई नजरी नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया था। दोनों पक्ष आज भी मौके पर रोड के सहारे बराबर–बराबर रूप से काबिज है जो पूरब से पश्चिम है। आराजी पैतृक है जिसे दोनों खातेदार समय–समय पर अपनी सुविधानुसार काश्त एवं उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। लेकिन इस सुविधा के अंतर्गत किसी को कोई स्थायी विभाजन नहीं किया गया है। अपीलांटगण के समर्थन में गाँव के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा कई शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये है जिन पर अधीनस्थ न्यायायल द्वारा गौर नहीं फरमाया गया है। मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया गया है। रेस्पो0 के मन में बदनीयती एवं बेईमानी आ जाने के कारण वह मेन रोड़ की संपूर्ण भूमि पर काबिज होना चाहता है जो गलत है जिसका रेस्पो0 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.07.2020 खारिज फरमाया जाकर उक्त खसरा नं0 39 में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी रोड के सहारे बराबर तरमीम करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.11.25 13:19:22 IST
Reason: SelfAttested

मेरे द्वारा प्रकरण मे अपीलांटगण के अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन/विश्लेषण किया गया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्देश दिये जाने की अपेक्षा यह न्यायालय तहसीलदार छबडा के द्वारा पारित तरमीम आदेश/निर्णय दि. 14.07.2020 को निरस्त करते हुये प्रकरण इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि तहसीलदार छबडा द्वारा प्रश्नगत भूमि का मौका निरीक्षण/SPOT VERIFICATION समस्त पक्षकारों की उपस्थिति में हीं किया जाना चाहिए एवं विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम –18 से 21 के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। भूमि–विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु राजस्व मण्डल, अजमेर से हाल हीं में जारी प्रपत्र भी भरा जाना चाहिए। प्रकरण में दोनो पक्षों को नोटिस जारी कर नियमानुसार सुनवाई हेतु तलब करें, तत्पश्चात सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करते हुये, संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नं0 39 में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी रोड के सहारे, सभी खातेदारों को उनके हिस्से के अनुरूप बराबर तरमीम करने का, प्रकरण मे युक्तियुक्त आदेश पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बाराँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.11.25 13:19:22 IST
Reason: SelfAttested